

" निगम हिंदी पत्राचार का स्वागत करता है"

	कर्मचारी राज्य बीमा निगम (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार) EMPLOYEES STATE INSURANCE CORPORATION (Ministry of labour & Employment, Govt. of India)		लेखा एवं वित शाखा -4 निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली/ Directorate (Medical) Delhi कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय सह निदान केंद्र परिसर प्रताप नगर, मयूर विहार फेज-1, नई दिल्ली -110091 ESIC Dispensary-cum-Diagnostic Centre Complex Pratap Nagar, Mayur Vihar Phase-1, Delhi-110091
--	--	--	--

मिसिल संख्या:- डी.एम.ए.-19/13/2012/लेखा शाखा-4

दिनांक:- 10/12/2025

ज्ञापन

विषय:- क.रा.बी. अस्पताल, बसईदारापुर/ ओखला/ रोहिणी/ झिलमिल /साहिबाबाद/नोएडा अस्पताल/ रोहिणी दंत महाविद्यालय के 07/2025 से 12/2025 के रिकार्ड की लेखा परीक्षा के संबंध में स्थानीय आंतरिक लेखा परीक्षा दल का दौरा कार्यक्रम।

स्थानीय आंतरिक लेखा परीक्षा दल-1 और 2 का दौरा कार्यक्रम दिनांक 01/01/2026 से 31/03/2026 तक सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु अग्रेषित किया जा रहा है। लेखा दल-1 और 2 के अधिकारी/कर्मचारी निम्नलिखित विवरण के अनुसार संयुक्त रूप से आंतरिक लेखा परीक्षण का कार्य करेंगे।

क्रम. सं.	यूनिट का नाम	लेखा परीक्षा अवधि	दौरा कार्यक्रम की अवधि	अवकाश	कुल कार्यदिवस
1	नोएडा अस्पताल	10/25 से 12/25	01/01/26 से 10/01/26	04/01/26	9
2	रोहिणी अस्पताल	10/25 से 12/25	12/01/26 से 21/01/26	11/01/26, 18/01/26	9
3	रोहिणी डेंटल कॉलेज	10/25 से 12/25	22/01/26 से 29/01/26	25/01/26, 26/01/26	6
4	बसईदारापुर अस्पताल	07/25 से 12/25	31/01/26 से 23/02/26	30/01/26 (LWD), 01/02/26, 08/02/26, 15/02/26, 22/02/26	20
5	साहिबाबाद अस्पताल	10/25 से 12/25	24/02/26 से 05/03/26	27/02/26 (LWD), 01/03/26, 04/03/26	7
6	झिलमिल अस्पताल	10/25 से 12/25	06/03/26 से 16/03/26	08/03/26, 15/03/26	9
7	ओखला अस्पताल	10/25 से 12/25	17/03/26 से 28/03/26	21/03/26, 22/3/26, 26/03/26, 29/03/26, 30/03/26 (LWD), 31/03/26	9
कुल कार्यदिवस					69

श्री दिनेश, सहायक निदेशक आंतरिक लेखा दल-1 और 2 के प्रमुख होंगे। लेखा दल-1 और 2 का विवरण निम्नानुसार है:

लेखा दल-1	लेखा दल-2
1) श्री अनिल कुमार मक्कड़, कार्यालय अधीक्षक	1) श्री राजेन्द्र, कार्यालय अधीक्षक
2) श्री नवीन वत्स, सहायक	2) श्री बिजेन्द्र कुमार, सहायक
3) श्री मनोज कुमार, सहायक	3) श्री तौसीफ अहमद, सहायक

*उपरोक्त अधिकारी/कर्मचारी नियमानुसार TA/DA के हकदार रहेंगे।

संबंधित कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों के डीन एवं चिकित्सा अधीक्षकों से निवेदन है कि अपने कार्यालय का रिकार्ड अद्यतन करने की व्यवस्था करें ताकि लेखा परीक्षा का कार्य सुचारू रूप से निर्धारित समय से पूरा किया जा सके। यह भी निवेदन है कि लेखापरीक्षा के दौरान अपने कार्यालय के पिछले लेखापरीक्षाओं से संबंधित सभी बकाया पैरों के अनुपालना/उत्तर संबंधित सल्यापित दस्तावेज़ सहित प्रस्तुत करें ताकि स्थिति पूर्ण रूप से पुनर्निरीक्षित की जा सके तथा अधिक पुरानी आपत्तियों का निपटान उसी समय किया जा सके। ऐसा न किए जाने की स्थिति में निदेशक (चिकित्सा) दिल्ली को वैयक्तिक रूप से ऐसी स्थिति से अवगत कराया जाएगा।

इसके अतिरिक्त लेखा दल के अधिकारियों को प्रत्येक अस्पताल के कार्यादिवस एवं कार्यालय समय के अनुसार लेखा परीक्षण करना होगा व प्रत्येक माह में निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली के अंतिम कार्यादिवस पर सभी लेखापरीक्षक एवं लेखानिरीक्षक को अपने कार्यालय में उपस्थित रहना होगा।

***नोट:-**

1. सभी डीन एवं चिकित्सा अधीक्षकों से निवेदन है कि लेखा दल के कर्मचारियों के लिए उचित बैठने की व्यवस्था और लेखा परीक्षण के कार्य के सुचारू संचालन व रिपोर्ट तैयार करने के उद्देश्य और ई-ऑफिस में कार्यवाही के लिए एक कम्प्युटर, एक प्रिंटर और स्कैनर की व्यवस्था आवश्यक रूप से करें।
2. सभी चिकित्सा अधीक्षक कृप्या मुख्यालय के निर्देशानुसार अपने अस्पताल के अगले 04 सालों में सेवा निवृत होने वाले कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका लेखा दल को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें ताकि कर्मचारी के **Promotion/MACP/ACP/Financial Upgradation** इत्यादि मिलने के उपरांत वेतन निर्धारण के आदेशों का लेखा परीक्षण सुनिश्चित किया जा सके।

यह पत्र निदेशक (चिकित्सा) दिल्ली के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

उप निदेशक (वित्त)

उपर्युक्त दौरा कार्यक्रम सहित प्रतिलिपि प्रेषित

1. वित्त आयुक्त, क.रा.बी. निगम, पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
2. अधिष्ठाता (डीन), क.रा.बी. महाविद्यालय, बसईदारापुर/नोएडा/रोहिणी (दंत महाविद्यालय)।
3. चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी. अस्पताल, बसईदारापुर/झिलमिल/ओखला/रोहिणी/नोएडा/साहिबाबाद को इस अनुरोध के साथ कि लेखा परीक्षा दल को लेखा परीक्षण में सम्पूर्ण सहयोग करना सुनिश्चित करें।
4. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक (प्रशा.), क.रा.बी. अस्पताल, बसईदारापुर/झिलमिल/ओखला/रोहिणी/नोएडा/साहिबाबाद/रोहिणी दंत महाविद्यालय।
5. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक (वित्त), क.रा.बी. अस्पताल, बसईदारापुर/झिलमिल/ओखला/रोहिणी/नोएडा/साहिबाबाद/रोहिणी दंत महाविद्यालय।
6. कार्यालय अधीक्षक, स्थानीय लेखापरीक्षा दल-1/2 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु। कृपया पुरानी आपत्तियों के निपटान हेतु व्यक्तिगत रूप से ध्यान दें और आंतरिक लेखा परीक्षण नियमावली 2024 के अनुसार अस्पताल/कार्यालय के अभिलेख (रिकार्ड) का सम्पूर्ण लेखा परीक्षण करना सुनिश्चित करें। कोई भी अनियमितता का मामला होने की स्थिति में उसे अधोहस्ताक्षरी के ध्यान में लाएं।
7. लेखा शाखा – 1, 2 व 3, रोकड़ शाखा नि.(चि.)दि।
8. उप निदेशक (प्रशा.), स्थापना शाखा – 1, 2 व 3, नि.(चि.)दि।
9. ओ.एस.डी. (आई.टी.) – इस ज्ञापन को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।